तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज नजरसानी / टीए / 113 / 2002 / अजमेर संजय कुमार बनाम महेन्द्र कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
28–2–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक प्रार्थी। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–01 (निगरानी संख्या–205 / 1997) से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। 2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार किशनगढ को पेश कर बंद रास्ते को खुलवाने का निवेदन किया। तहसीलदार किशनगढ ने आदेश दिनांक 29–11–96 द्वारा बंद रास्ता खुलवाने के आदेश जारी कर दिये। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील जिला कलेक्टर अजमेर ने आदेश दिनांक 3–7–97 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध मंडल में निगरानी प्रस्तुत होने पर मंडल की एकल पीठ ने आदेश दिनांक 6–11–01 द्वारा स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर दिये। जिससे व्यथित होकर यह नजरसानी प्रार्थना पत्र मंडल में प्रस्तुत किया गया है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा नजरसानी के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया गया कि मंडल की एकल पीठ ने आलोच्य आदेश द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तो निरस्त कर दिये किंतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 251 के सम्बंध में अग्रिम कार्यवाहीं हेतु कोई दिशा निर्देश नहीं दिये। एकल पीठ का निर्णय तहसीलदार के क्षेत्राधिकार पर आधारित है जो दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष नहीं उठाया गया था, निगरानी में केवल मौखिक बहस में उठाया था। धारा 251 की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को है तथा 45 दिवस की अवधि में निस्तारण नहीं होने पर तहसीलदार को धारा 251 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण का क्षेत्राधिकार है। एकल पीठ ने निर्णय पारित करते वक्त इस सम्बंध में कोई जांच नहीं की कि विवादित आराजी जो ग्राम सांवतसर में थी किस ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय ग्राम पंचायत अस्तित्व में थी अथवा नहीं। ग्राम सांवतसर ग्राम पंचायत में शामिल था किंतु राज्य सरकार ने 17–1–76 को अधिसूचना जारी कर किशनगढ नगरपालिका का विस्तार किया जिसमें ग्राम सांवतसर भी शामिल था अर्थात दिनांक 17–1–76 के बाद ग्राम सांवतसर ग्राम पंचायत में था ही	

नही। ऐसी स्थिति में प्रार्थी कौनसी ग्राम पंचायत में आवेदन करता। किंतु एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय में उक्त तथ्यों के विवेचन का अभाव है। यदि तहसीलदार को धारा 251 का प्रार्थना पत्र निस्तारण का क्षेत्राधिकार नहीं था तो एकल पीठ को प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड करना चाहिये था। उक्त समस्त तथ्य error apperant on the face of record की श्रेणी में होने से प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा का आक्षेपित आदेश दिनांक 6–11–01 खारिज किया जावे।

4. प्रार्थी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस नजरसानी प्रार्थना पत्र पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. मंडल की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 6–11–01 के अवलोकन से प्रकट होता है कि एकल पीठ ने अपने आदेश में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा यह अवगत नहीं कराया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ग्राम पंचायत ने 45 दिवस की अवधि में निस्तारित नहीं किये जाने की स्थिति में तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। धारा 251 के अंतर्गत कार्यवाहीं करने की शक्तियां प्रथम 45 दिन के लिये संबधित ग्राम पंचायत को प्रत्यायोजित की गई है तथा उसके बाद ही संबधित तहसीलदार का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है तथा तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार बाहर मानते हुये जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार का निर्णय उक्त संक्षिप्त व्याख्या के आधार पर निरस्त किया है। प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17–1–76 प्रस्तुत की गई है जिसमें किशनगढ नगरपालिका में सम्मिलित ग्रामों की सूची है जिसमें सांवतसर भी शामिल है। ऐसी स्थिति में सांवतसर को ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में मानने का कोई निष्कर्ष आदेश में नहीं है। इसके अतिरिक्त एकल पीठ के आदेश में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण के सम्बंध कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है, जो स्पष्ट रूप से error apperant on the face of record की श्रेणी में होना पाया जाता है। लिहाजा प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के आक्षेपित निर्णय दिनांक 6–11–01 को निरस्त किया जाता है तथा निगरानी सं. 205/97/अजमेर को पुनः नम्बंर पर लिया जाता है।

7. सम्बंधित निगरानी मूल पत्रावली पुनः नंबर पर ली जाकर किसी भी एकल पीठ के समक्ष दिनांक..... को वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं पेश हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य